प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 21.06.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में 25000 रु0 के ईनामिया को मुठभेड़ के दौरान पैर मे लगी गोली, अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.06.2025 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी करने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया था । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 496/2025 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 21.06.2025 को उक्त घटना से सम्बन्धित फरार अभियुक्त अबरार अहमद पुत्र इस्तफा हुसैन निवासी इस्लामनगर काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अजगैबा घाट खलीलाबाद गोरखपुर बार्डर के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान समय करीब 01:00 बजे रात्रि को गिरफ्तार किया गया था तथा अभियोग में धारा 64(2) बीएनस व 5ML/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय कुमार सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 21.06.2025 को दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को अजगैबा घाट के पास से समय रात्रि 01:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अबरार अहमद पुत्र इस्तफा हुसैन निवासी इस्लामनगर काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

बरामदगी का विवरणः-

01- एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर

02- एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

03- एक अदद खाली खोखा .315 बोर

घटना का विवरणः-

आज दिनाँक 21.06.2025 को रात्रि लगभग 01.00 बजे थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस व अपराधी के बीच अजगैबा घाट के पास पर मुठभेड़ हुयी है, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम अबरार अहमद पुत्र इस्तफा हुसैन निवासी इस्लामनगर काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर उम्र करीब 45 वर्ष है, के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है तथा उसके पास से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, जेब से 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व तमंचे में फंसा 01 अदद खाली खोखा .315 बोर बरामद हुआ है।

अभियुक्त अबरार अहमद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 08 वर्ष के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 496/2025 धारा 65(2), 352, 351(3) बीएनएस व 5ML/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त अबरार अहमद वांछित था तथा अभियुक्त के उपर 25,000रु0 का ईनाम घोषित किया गया था । आज मुखबीरी सूचना के आधार पर गोरखपुर बार्डर से पहले अजगैबा घाट के पास उक्त अभियुक्त को कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया कि उक्त अभियुक्त ने पुलिस के उपर फायर कर दिया, पुलिस के जवाबी फायर में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, जिसके पश्चात उक्त अभियुक्त का इलाज जिला अस्पताल जनपद संतकबीरनगर में चल रहा है व अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्येय, उ0नि0 श्री ललितकांत यादव, उ0नि0 श्री राकेश कुमार, उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, का0 बलराम यादव, का0 अरुण कुमार।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के मामले मे वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक धनघटा **श्री रामकृष्ण मिश्र** के नेतृत्व में दिनांक 21.06.2025 को चोरी के मामलें में वाँछित 02 अभियुक्तगण 01. अकबर खान पुत्र ओलीजान 02. बुद्धिराम पुत्र कमल प्रसाद निवासीगण बैड़ारी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को बैडारी गाँव दक्षिण के पास से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 03 अदद सोलर बैटरी, 01 अदद सोलर पैनल, 01 अदद झटका मशीन, 01 अदद स्टूल व नगद 6900 रु0 बरामद किए गए।

दिनाँक 12.06.2025 को वादी साहिद पुत्र सरवर अली निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर उनके खेत में सुरक्षा हेतु लगाए गए झटका मशीन सोलर पैनल बैटरी आदि समान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 306/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना धनघटा पर पंजीकृत

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. 01. अकबर खान पुत्र ओलीजान निवासी बैड़ारी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

02. बुद्धिराम पुत्र कमल प्रसाद निवासी बैड़ारी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. 03 अदद चोरी की सोलर बैटरी।
2. 01 अदद सोलर पैनल।
3. 01 अदद झटका मशीन।

04. 01 अदद स्टूल।

05. 6900 रु0 नकद।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो बताये कि दिनांक 12/13.06.2025 की रात्रि में डिहवा गाँव के खेत से 01 अदद सोलर बैटरी, 01 अदद बैटरी व झटका मशीन चोरी किए थे तथा 02 अदद बैटरी व 01 अदद स्टूल खैरा गाँव की नर्सरी से 20 दिन पहले चुराए थे। बरामद रुपयों के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.04.2025 की रात्रि में भुवरिया चौराहे पर पटेल बिल्डिंग मैटेरियल के पासी खड़ी गाड़ी से चायपत्ती चुराए थे जिसे नेपाल बार्डर के पास जाकर बेंच दिए थे उसी का शेष पैसा है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय, हे0का0 राणा प्रताप यादव, हे0का0 मोहन कुमार, का0 संतोष यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
-

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनों से 98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनों से 98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।